ग्राम पंचायत भूणी बनाम राजस्थान सरकार
मुकदमा नम्बर 18/2023

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नावां (डीडवाना–कुचामन)

पीठासीन अधिकारी :– श्री विश्वामित्र मीना, आर.ए.एस.

वादी:–

ग्राम पंचायत भूणी पंचायत समिति नावां तहसील नावां।

बनाम

प्रतिवादी:–

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नावां (भूमिधारी) तहसील नावां।

**रेकर्ड दुरूस्ती व शुद्धि बाबत**
**अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं**
**136 आर.एल.आर. एक्ट 1956**

उपस्थित :– श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता वादी

मुकदमां नम्बर :– 18/2023 निर्णय दिनांक :– 31.01.2024

**निर्णय**

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि राजस्व ग्राम भूणी पटवार हल्का इन्दोखा तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि भूमि गत खसरा नम्बर 219 जिसके नवीन खसरा नम्बर 555 रकबा 2.18 हैक्टर व गत खसरा नम्ब्र 255 के नवीन खसरा नम्बर 761, 762, 763 कुल रकबा 0.70 हैक्टर कायम हुए। (1:46 चउ, 31/01/2024) डल श्रपवः 2. खसरा नं. 555 रकबा 2.18 हैक्टर व खसरा नं. 761,762,763 कुल रकबा 0.70 हैक्टर गैर मुमकिन आबादी दर्ज चलीआ रही थी भू प्रबन्ध कार्यवाही मिशल सम्वत् 2008 से 2027 में स्पष्ट दर्ज चली आ रही है। ग्राम भूणी खसरा नम्बर 555 रकबा 2.18 हैक्टर व खसरा नम्बर 761, 762, 763 कुल रकबा 0.70 हैक्टंर जो ग्राम पंचायत भूणी गै.मु. आबादी दर्ज चली आ रही थी जिसमें आबादी बसी हुई है लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में सम्वत् 2039 से 2042 में गै.मु. आबादी के स्थान पर गै.मु. गौचर कर दी गयी। उपरोक्त भूमि में खसरा नं. 555 रकबा 2.18 हैक्टर व खसरा नं. 761, 762, 763 कुल रकबा 0.70 हैक्टर की भूमि में आबादी बसी हुई है जिसमें कुछ भी हिस्सा गौचर में काम नहीं आ रहा है तथा सम्पूर्ण रकबा पर पिढियो से आबादी, रहवासी मकानात बनाकर रहवास आबादी के रूप में चले आ रहे है लेकिन राजस्व कर्मचारियो, अधिकारियो की भूलवंश गै.मु. आबादी के स्थान पर गै.मु. गौचर दर्ज कर दिया। उपरोक्त भूमि की किस्म गे.मु. गौचर के स्थान पर राजस्व रिकॉर्ड में खसरा नं. 555 रकबा 2.18 हैक्टर व खसरा नं. 761, 762, 763 कुल रकबा 0.70 हैक्टर की भूमि को गै. मु. आबादी दर्ज किया जाना आवश्यक है। राजस्व ग्राम भूणी तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि खसरा नं. 219

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.06 11:06:18 IST
Reason: SelfAttested



उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

ग्राम पंचायत भूणी बनाम राजस्थान सरकार
मुकदमा नम्बर 18 / 2023

जिसके नवीन खसरा नं. 555 रकबा 2.18 हैक्टर व गत खसरा नं. 255 के नवीन खसरा नं. 761, 762, 763 कुल रकबा 0.70 हैक्टर किस्म राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती कर गै.मु. गौचर के स्थान पर गै.मु. आबादी की खातेदारी अधिकारो की घोषणा फरमाकर की इस्तदुआ की।

वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार नावां ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि वर्तमान (आनलाईन) जमाबंदी अनुसांर ग्राम भूमि के खसरा नम्बर 555 रकबा 2.18 हैक्टर किस्म गै. मु. गौचर एवं खसरा नम्बर 761, 762, 763 कुल रकबा 0.70 हैक्टर किस्म गै.मु. गोचर दर्ज है। प्रथम भू–प्रंबध (संवत 2008) की खतोनी बंदोबस्त अनुसार खसरा 219 रकबा 13 बीघा 13 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 255 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा की किस्म गैर मुमकिन दर्ज था एवं कॉलम संख्या 4 (उपरोक्ता का नाम पिता का नाम जाति व निवास स्थान) में गैर मुमकिन आबादी दर्ज है)। भू–प्रबंध सन् 186–87 में गत खसरा नम्बर 219 के नवीन खसरा नम्बर 555 दर्ज हुआ रकबा 2.18 हैक्टर एवं किस्म गै.मु. गोचर दर्ज हुई एवं गत खसरा नम्बर 255 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा के नवीन खसरा नम्बर 761, 762, 763 कुल रकबा 0.70 हैक्टर दर्ज हुये एवं किस्म गै.मु. गोचर दर्ज हो गई। मौके पर वर्तमान में खसरा नम्बर 555 (हाल) रकबा 2.18 हैक्टर पर पुराने समय से आबादी बसी हुई एवं ग्राम पुरोहितों का बास की मूल आबादी बसी हुई है एवं खसरा नम्बर 761, 762, 763 कुल रकबा 0.70 हैक्टर पर भी पुराने समय से ग्राम भूणी की आबादी बसी हुई है एवं उक्तानुसार उक्त भूमि (खसरा नम्बर 761, 762, 763) गै.मु. गोचर के स्थान पर गै.मु. आबादी दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाना उचित है। वादी ने साक्ष्य सबूत में मिलान क्षेत्रफल, खतौनी जमाबंदी बंदोबस्त संवत 2008 से 2027, जमाबंदी संवत 2012 से 2015, जमाबंदी संवत 2028 से 2031, जमाबंदी संवत 2039 से 2042 पेश की।

बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं साक्ष्य सबूत का अवलोकन किया गया। तहसीलदार नावां द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया।

उपरोक्त विवेचानुसार वादी ने वाद पत्र में राजस्व ग्राम भूणी तहसील नांवा की सरहद में स्थित भूमि गत खसरा नं. 219 जिसके नवीन खसरा नं. 555 रकबा 2.18 हैक्टर व गत खसरा नं. 255 के नवीन खसरा नं. 761, 762, 763 कुल रकबा 0.70 हैक्टर किस्म राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती कर गै.मु. गौचर के स्थान पर गै.मु. आबादी दर्ज करने का निवेदन किया है जिसके संबंध में तहसीलदार नावां द्वारा प्रस्तुत जवाब से स्पष्ट हैं कि प्रथम भू प्रबंध संख्या 2008 की खतौनी बंदोबस्त में भी उक्त खसरान के गत खसरा नम्बर की किस्म गैर मुमकिन व उपभोक्ता का नाम पिता का नाम जाति निवास स्थान कॉलम संख्या 4 में गैर मुमकिन आबादी दर्ज हैं एवं मौके पर [illegible] बसी हुई हैं तथा पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत 2012 से 2015 में मूल खसरा नम्बर 219 व 255 की आबादी अंकित है व (क) सरकारी भूमिया (खाता मिलकियत सरकार) (2) भूमि जो कृषि के लिए उपलब्ध नहीं है

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.06 11:06:18 IST
Reason: SelfAttested



उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

(ख) चराई के लिए अनुपयुक्त भूमियां (1) निवास गृह तथा बस्तीयां अंकन है। इसलिए उक्त गत खसरा नम्बर 219 के नवीन खसरा नम्बर 555 रकबा 2.18 हैक्टर व गत खसरा नम्बर 255 के नवीन खसरा नम्बर 761, 762, 763 कुल रकबा 0.70 हैक्टर की किस्म जमाबंदी में गै.मु. गोचर के स्थान पर गै.मु. आबादी दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

**आदेश**

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि गत खसरा नम्बर 219 के नवीन खसरा नम्बर 555 रकबा 2.18 हैक्टर व गत खसरा नम्बर 255 के नवीन खसरा नम्बर 761, 762, 763 कुल रकबा 0.70 हैक्टर भूमि की किस्म गै.मु. गौचर के स्थान पर गै.मु. आबादी कर दुरूस्त किया जाता हैं। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार नावां को आदेश दिये जाते है। तहसीलदार नावां को तहरीर जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 31.01.2024 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(विश्वामित्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
नावां (डीडवाना–कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.06 11:06:18 IST
Reason: SelfAttested

अदालतः— उपखण्ड अधिकारी नावां, जिला डीडवाना—कुचामन, राज.
अज अदालत :— श्री विश्वामित्र मीना, आर.ए.एस.

वादीः—

ग्राम पंचायत भूणी पंचायत समिति नावां तहसील नावां।

बनाम

प्रतिवादीः—

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नावां (भूमिधारी) तहसील नावां।

मुकदमां नम्बर :— 18 / 2023 निर्णय दिनांक :— 31.01.2024

इनफिसाल कतई रूबरू.....बहाजरी श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता वादी को डिक्री दी जाती हैं कि :—

वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि गत खसरा नम्बर 219 के नवीन खसरा नम्बर 555 रकबा 2.18 हैक्टर व गत खसरा नम्बर 255 के नवीन खसरा नम्बर 761, 762, 763 कुल रकबा 0.70 हैक्टर भूमि की किस्म गै.मु. गौचर के स्थान पर गै.मु. आबादी कर दुरूस्त किया जाता हैं। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार नावां को आदेश दिये जाते है। तहरीर जारी हो।

बसबब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 31.01.2024 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखतः

ओहदा : उपखण्ड अधिकारी, नावां

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

| मुदई | रूपये | पैसे | मुदायलह | रूपये | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जीदावा<br>स्टाम्प वकालतनामा<br>स्टाम्प वजह सबूत<br>महन्ताना वकील<br>खर्चा गाहान<br>फीस कमिश्नर<br>बाबत इजराय हुक्मनामा<br>मुतफरीक | NIL | NIL | स्टाम्प अर्जीदावा<br>स्टाम्प वकालतनामा<br>महन्ताना वकील<br>खर्चा गाहान<br>फीस कमिश्नर<br>बाबत इजराय हुक्मनामा<br>मुतफरीक | NIL | NIL |
| मीलान | NIL | NIL | मीजान | NIL | NIL |

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.06 11:06:18 IST
Reason: SelfAttested